

पत्रांक:- 14/मु० 13-88/15 - 295
बिहार सराकर, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

फैक्स / स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी०आर०ए० विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

पटना, दिनांक 27/03/2015

विषय:- सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-10865/2012 राम कलश ठाकुर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में स्मार पत्र।


प्रसंग:- विभागीय पत्रांक:- 14/एम 7-1013/2013-568 दिनांक 20.03.13

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्रांक के माध्यम से वाद संख्या-10865/2012 राम कलश ठाकुर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक 02.07.2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में विचाराधीन महाविद्यालय के कन्वर्सन कमिटी को सभी अनुग्नकों के साथ विश्वविद्यालय स्तर पर अभिप्रमाणित करते हुए के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विभाग को उपलब्ध कराने की मांग की गयी थी, जो कि अद्यतन अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि वांछित अभिप्रमाणित प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि विभागीय स्तर पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन



(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

सुनील